



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1188]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2014/ज्येष्ठ 13, 1936

No. 1188]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2014/JYAISTHA 13, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2014

आयकर

का.आ. 1434(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80जी की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा “शिवसूर्यापेरुमन टेंपल सूर्यानरकोइल, तिरुवैद्यामरुदुर तालुक, तंजावुर जिला तमिलनाडु”, को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान होना अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 29/2014/फा. सं. 176/05/2011-आ.क.नि.-I]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2014

Income-tax

S.O. 1434(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Sivasuriyaperuman Temple, Suriyanarkoil, Thriuvaidaimarudur Taluk, Thanjavur District, Tamil Nadu”, to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said section.

[Notification No. 29/2014/F. No. 176/05/2011-ITA.-I]

SURABHI SHARMA, Under Secy.